पटना में उच्च न्यायालय न्याय अधिकार में

2015 का आपराधिक विविध सं॰ 20168

थाना कांड संख्या 2846 वर्ष-2012 से उत्पन्न थाना-बेगुसराय जिला-बेगुसराय,

==========

ज्ञान सिंह, पुत्र -स्वर्गीय किशन सिंह, निवासी-अलकनंदा, थाना-कालाकाजी जिला-दक्षिण दिल्ली।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य

2. रेनू देवी टिबिरवाल, पत्नी-उमेश प्रताप टिबिरवाल, निवासी-मेसर्स इलेक्ट्रो मेकनिको कंपनी, पावर हाउस रोड, ओल्ड फिश मार्केट, थाना-नगर, जिला-बेगुसराय।

.... विरोधी पक्ष

==========

के साथ

2015 की आपराधिक विविध संख्या 18467

थाना कांड संख्या- 2846 वर्ष-2012 से उत्पन्न थाना-बेगुसराय जिला-बेगुसराय,

==========

ज्ञान सिंह, पुत्र-स्वर्गीय श्री किशन सिंह, निवासी-अलकनंदा, थाना-कालकाजी, जिला-दक्षिण दिल्ली।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य

2. रेणु देवी टिबरीवाल, पत्नी-श्री उमेश प्रताप टिबरीवाल, मैसर्स इलेक्ट्रो मैकनीको कंपनी के मालिक हैं पावर हाउस रोड, ओल्ड फिश मार्केट, थाना-नगर, जिला-बेगुसराय।

.... विरोधी पक्ष

==========

उपस्थितिः

(2015 की आपराधिक विविध सं. 20168 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री आलोक कुमार उर्फ आलोक कु० शाही, अधिवक्ता
श्रीमती अर्चना शाही, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष/पक्षों के लिए : श्री झारखण्डी उपाध्याय, स.लो.अभि.

(2015 की आपराधिक अपराध संख्या 18467 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री आलोक कुमार उर्फ आलोक कु० शाही, अधिवक्ता
श्रीमती अर्चना शाही, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष/पक्षों के लिए : श्री मधुरानंद झा, स.लो.अभि.

==========

सी आर पी सी की धारा 482 के तहत दायर याचिका आई पी सी की धारा 420 और 406 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत वाद संख्या 2846/2012 (सी) दिनांक 20.07.2013 को पारित संज्ञान आदेश को रद्द करने के लिए-मैसर्स हरजी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ज्ञान सिंह पर आई. पी. सी. की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सिंह अपनी कंपनी को आपूर्ति किए गए वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए कुल 21,13,513 का भुगतान करने में विफल रहे, जबकि बकाया भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने का समझौता हुआ था। याचिकाकर्ता ने 5 लाख का भुगतान किया था लेकिन शेष राशि का भुगतान नहीं किया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरोपों के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत याचिका अनुबंध की शुरुआत से ही बेईमान इरादे को स्थापित नहीं करती है। - यह भी दावा किया गया था कि अपराधिक

विविध वादसंख्या-18467/15 के तहत मूल राशि का भुगतान अग्रिम जमानत आदेश में लगाई गई शर्तों के अनुपालन में किया गया था। और यदि कोई देरी हुई है-तो यह वित्तीय कठिनाइयों और लंबित मध्यस्थता के कारण हुई थी।

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध किया, लेकिन सुनवाई के दौरान विपक्ष संख्या 2 रेणु देवी टिबिरवाल की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

अभिनिर्धारित- माननीय सर्वोच्च न्यायालय को-सुशील सेठी बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य, जैसा कि [(2020) 3 एस.सी.सी. 240 में पहले ही निर्णय ले चुका है कि अनुबंध का उल्लंघन स्वचालित रूप से धोखाधड़ी नहीं है जब तक कि शुरुआत से ही धोखाधड़ी का इरादा न हो। [पैरा 7 और 8]

एक अन्य मामले में- शरद कुमार सांघी बनाम संगीता राणे, [(2015) 12 एस.सी.सी. 781] शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही केवल तभी आगे बढ़ सकती है जब कंपनी को भी एक पक्ष बनाया जाए या प्रत्यावर्ती दायित्व के विशिष्ट आरोप लगाए जाएं।

वर्तमान मामले में यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने मूल राशि के लिए पर्याप्त भुगतान किया था और यह कि कोई भी देरी बेईमान इरादे के बजाय वित्तीय बाधाओं के कारण हुई थी। यह भी नोट किया गया कि शिकायत में मैसर्स हरजी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल नहीं था, जो एक पक्ष होना चाहिए था, जिससे एक प्रक्रियात्मक दोष पैदा हुआ। - आरोप प्रथम दृष्टया विश्वासघात या धोखाधड़ी के आपराधिक मामले का समर्थन नहीं करते हैं। प्रक्रियात्मक कमियों और बेईमान इरादे के सबूत की कमी के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में मामले का समाधान किया गया था।

इस प्रकार- इन टिप्पणियों और कानूनी उदाहरणों के आधार पर, याचिकाकर्ता ज्ञान सिंह के खिलाफ मामले का संज्ञान लेने वाले दिनांक 20.07.2013 के आदेश रद्द कर दिया गया है, इस आदेश से उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही को भी रद्द कर दिया गया है और याचिका मंजूर की गई।

अन्य संबंधित मामला आपराधिक विविध संख्या 18467/2015 को भी आगे अलग- अलग आदेशों की आवश्यकता के बिना निपटारा किया जाता है।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीख : 28-02-2024

वर्तमान आवेदन 2012 के शिकायत मामला सं.2846 (सी) में पारित 20.07.2013 के आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में 'द.प्र.सं.') के तहत दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगुसराय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया है।

2. संक्षेप में, शिकायतकर्ता का मामला शिकायत के माध्यम से बताता है कि याचिकाकर्ता, जो मेसर्स हरजी इंजि.प्रा.लि. के निदेशक हैं, ने वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की आपूर्ति के लिए भागलपुर में अपने शाखा कार्यालय में शिकायतकर्ता से संपर्क किया। याचिकाकर्ता की कंपनी एनटीपीसी, कहलगांव में काम कर रही थी और मौखिक समझौते और फर्म के पैड पर हस्ताक्षर के बाद, शिकायतकर्ता ने एनटीपीसी, कहलगांव साइट पर याचिकाकर्ता को वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की आपूर्ति 14.06.2006 से 06.07.2007 तक शुरू कर दी, जिसके लिए एक बिल रु० 21,13,513/- के लिए पेश गया था। यह आगे आरोप लगाया गया है कि समझौते के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रति वर्ष 24 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना था यदि माल की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता को 23.09.2008 से 28.04.2012 तक 5 लाख रुपये का भुगतान किया गया था और इसलिए याचिकाकर्ता 14.06.2006 पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया। एमआईएससी। और कुल राशि रु० 21,13,513/- है और शेष राशि ब्याज राशि थी। हालाँकि शिकायतकर्ता नियमित रूप से माँग करता था, लेकिन शिकायतकर्ता को उसका भुगतान नहीं किया गया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील श्रीमती अर्चना शाही ने कहा कि शिकायत याचिका के अवलोकन से यह किसी भी विवेकपूर्ण व्याख्या से कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत कोई *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बनता है। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत

किया कि विरोधी पक्ष सं.2 मैसर्स इलेक्ट्रो मेकनिको कंपनी, पावर हाउस रोड ने नेशनल थर्मल पावर कंपनी (संक्षेप में 'एनटीपीसी'), कहलगांव में याचिकाकर्ता की कंपनी को 14.06.2006 से 06.07.2007 तक की अवधि के दौरान अलग-अलग समय पर इलेक्ट्रोड की आपूर्ति की, जहां उन पर कंपनी का निदेशक होने का आरोप है और उन्होंने रु० 21,13,513/- का बिल पेश किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त बिल के खिलाफ, रुपये की राशि. 5,00,000-का भुगतान 23.09.2008 से 28.04.2012 की अवधि के दौरान किया गया था, लेकिन बाद में, विरोधी पक्ष सं० 2 24% *प्रति वर्ष* की गणना करके ब्याज का बिल 44,49,614.76/-रु० के हिसाब से पेश किया जाता है। 21,13,515/-रु० की मूल राशि विवादित नहीं है।

4. विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि इससे पहले याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता ने शिकायत मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जहां विरोधी पक्ष सं.2 को रु० 16 लाख का भुगतान करने की शर्त लगाई गई थी जमानत बांड प्रस्तुत करने के समय जो अब विरोधी पक्ष सं० 2 को 8 लाख रुपये के दो अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पंजाब और सिंध बैंक और केनरा बैंक के क्रमशः दिनांकित 11.09.2023 और 06.09.2023 द्वारा अब दे दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल राशि जिसके लिए शुरू में बिल पेश किया गया था, अब विरोधी पक्ष सं.2 को भुगतान किया जाता है।

5. विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने विरोधी पक्ष सं.2 के साथ बेईमान इरादे से काम किया। व्यावसायिक सौदे की शुरुआत से ही उन्होंने शुरू में 5 लाख रुपये का भुगतान किया था, जहां वित्तीय कठिनाइयों के कारण शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को मैसर्स हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से भुगतान प्राप्त करना था, लेकिन मैसर्स एनटीपीसी, कहलगांव और मैसर्स हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच एक मध्यस्थता कार्यवाही लंबित होने के कारण, याचिकाकर्ता समय के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं कर सका और इसलिए, वह विरोधी पक्ष सं.2 को शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहा। निर्धारित अवधि के भीतर, जिसका अर्थ यह नहीं है कि याचिकाकर्ता का इरादा बेईमान का था।

6. तर्क का समापन करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कंपनी यानी मेसर्स हरजी इंजि० (पी) लिमिटेड (एच. ई. डब्ल्यू. पी. एल.) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है और इस तरह एक स्वतंत्र निकाय है, जो शिकायतकर्ता द्वारा एक पक्ष के रूप में शामिल करने में विफल रहा और केवल इसी आधार पर यह संज्ञान आदेश दर किनार किया जाना उचित है।

7. प्रस्तुत करने के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भरोसा किया जैसा कि **सुशील सेठी और एक अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य का मामला [(2020) 3 एससीसी 240]** में बताया गया है

8. श्री झारखण्डी उपाध्याय, विद्वान स.लो.अभि. ने राज्य के पक्ष में उपस्थित होकर वर्तमान आवेदन का विरोध किया।

9. बार-बार कॉल करने के बावजूद, कोई भी विरोधी पक्ष 2 की ओर से नहीं आया।

10. **सुशील सेठी मामले** (उपर्युक्त) के पैरा-7.1,7.2,7,5,8.1 और 8.2 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः-

> **7.1.** *हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल*, [1992 अनुपूरक (1)] एस.सी.सी. 335], पैरा 102 में, इस न्यायालय ने उदाहरणों के माध्यम से मामलों को वर्गीकृत किया है जिसमें अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों या दं०प्र०सं० की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। पैरा 102 में, इसे देखा गया है और निम्नानुसार माना गया हैः-
>
> *"102.* के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में।
>
> "102. संहिता के अध्याय 14 के अन्तर्गत विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत असाधारण शक्ति या

संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अन्तर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियाँ देते हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हलांकि को सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से सुसंचालित और अनन्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में दंडाधिकारी के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराती है।

(3) जहाँ एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध को अंजाम देना और अभियुक्त के खिलाफ मामला का खुलासा नहीं करते हैं।

(4) जहां, प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के तहत दंडाधिकारी के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहाँ प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, वहां पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। ”

7.2. *वेसा होल्डिंग्स (प्रा०) लिमिटेड बनाम केरल राज्य,* [(2015) 8 एस.सी.सी. 293], इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरुआत में ही कोई धोखाधड़ी की गई थी। यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि धोखाधड़ी के अपराध को गठित करने के उद्देश्य से, शिकायतकर्ता को यह दिखाने की आवश्यकता है कि आरोपी का वादा या अभ्यावेदन करते समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादा था। यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में भी जहां अभियुक्त की ओर से अपना वादा पूरा करने में विफलता के संबंध में आरोप लगाए गए हैं, प्रारंभिक वादा करते समय गैर-जिम्मेदार इरादे के अभाव में, भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है। यह आगे देखा जाता है और माना जाता है कि वास्तविक परीक्षा

यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं।

XXX XXX XXX

7.5. *शरद कुमार सांघी बनाम संगीता राणे* में, [(2015) 12 एस.सी.सी. 781], में इस न्यायालय के पास प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने का अवसर था, जहां कंपनी को शिकायत में पक्षकार के रूप में नहीं रखा गया था। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यावर्ती दायित्व के प्रबंध निदेशक के खिलाफ विशिष्ट आरोप के अभाव में, कंपनी को एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाने के अभाव में, ऐसे प्रबंध निदेशक या किसी कंपनी के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब कोई शिकायतकर्ता किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी अधिकारी को शामिल करने का इरादा रखता है, तो प्रत्यावर्ती दायित्व का गठन करने के लिए आवश्यक आरोप लगाना आवश्यक है।

XXX XXX XXX

8.1. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्राथमिकी और/या यहाँ तक कि आरोप-पत्र में भी कोई विशिष्ट आरोप और अभिकथन नहीं हैं कि अभियुक्त का धोखाधड़ी और बेईमान इरादा लेन-देन की शुरुआत से ही था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मेसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड और सरकार के बीच अनुबंध तीन बिजली उत्पादन इकाइयों सहित नूरांग पनबिजली परियोजना की आपूर्ति और चालू करने के लिए था। अपीलकर्ताओं ने परियोजना के लिए टर्बाइनों को किसी अन्य निर्माता से खरीदा। कंपनी ने बिजली परियोजना में उक्त टर्बाइनों का उपयोग किया। यह अनुबंध

वर्ष 1993 में था। इसके बाद वर्ष 1996 में इस परियोजना को शुरू किया गया। वर्ष 1997 में, विद्युत विभाग ने परियोजना के निष्पादन पर संतुष्टि को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया। यहां तक कि दोष देयता अवधि भी जनवरी 1998 में समाप्त/खत्म हो गई। वर्ष 2000 में, तीन टर्बाइनों के संबंध में कुछ दोष पाया गया था। तुरंत, टर्बाइनों को बदल दिया गया। बिजली परियोजना ने शुरुआत से ही काम करना शुरू कर दिया-1996 के बाद से। यदि कंपनी/अपीलकर्ताओं का इरादा अरुणाचल प्रदेश सरकार को धोखा देने का होता, तो उन्होंने उन टर्बाइनों को नहीं बदला होता जो दोषपूर्ण पाए गए थे। किसी भी मामले में, शिकायत में कोई विशिष्ट आरोप और अभिकथन नहीं हैं कि अनुबंध में प्रवेश करते समय अभियुक्त का धोखाधड़ी या बेईमान इरादा था। इसलिए, उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला भी बनाया गया है।

8.2. यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मुख्य आरोपों को कंपनी के खिलाफ कहा जा सकता है। कंपनी को पार्टी नहीं बनाया गया है। आरोप क्रमशः कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक तक ही सीमित हैं। प्रबंध निदेशक या यहां तक कि निदेशक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं। प्रत्यावर्ती दायित्व का गठन करने के लिए कोई आरोप नहीं हैं। *मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य* [*मकसूद सैयद बनाम गुजरात राज्य,* (2008) 5 एससीसी 668: (2008) 2 एस.सी.सी. (आप०) 692], में इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड संहिता में कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशकों की ओर से प्रत्यावर्ती दायित्व को संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है जब आरोपी कंपनी है। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रबंध निदेशक और निदेशक का प्रत्यावर्ती दायित्व उत्पन्न होगा बशर्ते कि क़ानून में उस ओर से कोई प्रावधान मौजूद हो। यह आगे देखा गया है कि कानून में निर्विवाद रूप

से ऐसी प्रत्यावर्ती देनदारियों को तय करने का प्रावधान होना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि उक्त उद्देश्य के लिए भी, शिकायतकर्ता की ओर से आवश्यक आरोप लगाना अनिवार्य है जो प्रत्यावर्ती दायित्व का गठन करने वाले प्रावधानों को आकर्षित करेगा। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी कंपनी का क्रमशः प्रबंध निदेशक या निदेशक होने के कारण कोई विशष्ट आरोप नहीं है, इन परिस्थितियों में भी, विवादित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और दरकिनार करने की आवश्यकता है। ”

11. उपर्युक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चओं/प्रस्तुतियों से ऐसा प्रतीत होता हे कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 को कंपनी ने इलेक्ट्रोड की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता की कंपनी के साथ व्यावसायिक समझौता किया था, जिसके लिए शुरू में 5,00,000/- रु० का भुगतान किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता को मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड से भुगतान प्राप्त नहीं हो सका था। लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के कारण, वह विपक्षी संख्या 2 को समय पर शेष 16 लाख रुपये का भुगतान करने की स्थिति में नहीं था। इस बीच आप० विविध सं.18467/2015 के आदेश दिनांक 29.07.2015 के अनुसार जमानत की शर्त के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विपक्षी सं.2 को 16 लाख रुपये का भुगतान किया, एक पंजाब और सिंध बैंक पर दिनांक 11.09.2023 को निकाला गया, जिसकी सं. 578662 था और दूसरा केनरा बैंक पर दिनांक 06.09.2023 को निकाला गया था, प्रत्येक की सं. 695493 था, प्रत्येक की कीमत 8 लाख रु० थी। दोनों को विपक्षी पक्ष सं.2 द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था क्योंकि उक्त मसौदा विपक्षी पक्ष सं.2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विकाश कुमार के क्लर्क को सौंप दिया गया था। इन सभी तथ्यों से पता चलता हे कि याचिकाकर्ता के *प्रथम दृष्टया* भा.दं.सं. की धारा 406 और 420 के तहत इसके खिलाफ मामले बनाने का बेईमान इरादा नहीं था। यह भी प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की कंपनी को भी शिकायत याचिका में पक्ष नहीं बनाया गया है, तद्नुसार **सुशील सेठी मामले** (ऊपर) में ऊपर चर्चा किए गए मार्गदर्शक कानूनी अनुपात को ध्यान में रखते हुए, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगूसराय, द्वारा शिकायत वाद सं० 2846 (सी) 2012 में याचिकाकर्ता के खिलाफ

दिनांक 20.07.2013 को पारित संज्ञान लेने वाला आक्षेपित आदेश और उसके सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

12. फैसले की एक विद्वत विचारण न्यायालय तुरंत प्रेषित की जाए।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आप.वि.सं. 2015 का 18467 में एक अलग आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसका भी निष्पादन किया जाता है।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।